फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण | **अप्रार्थीगण**

भंवरलाल वगैरह **बनाम** **बीरबल वगैरह**

मुकदमा नं. 30 / 2021

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
07.07.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी के अन्तर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। मौका रिपोर्ट भू.अ. हेतु तहरीर जारी हो। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जबावदेही बाबत् तलब हो। मिसल दिनांक 28.07.2021 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
28/7/21	मुकदमा पेश। अप्रार्थीगण के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त है। इन्तजार होकर मिसल दिनांक 11/8/21 को पेश हो। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट भी अप्राप्त है। अतः मिसल वास्ते तलबी सम्मन मौका रिपोर्ट हेतु मुकर्रर ता० पेशी दिनांक 11/8/21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
11/8/21	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी नं. 1,2,4,5 की ओर से वकील श्री MKB ने वकालतनामा पेश तथा अप्रार्थी नं. 5 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुआ तथा मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक प्राप्त होकर शामिल है। मिसल वास्ते तलबी अप्रार्थी नं. 3 व 6 एवं जवाब प्रार्थना 01/09/21 को पेश हो। [signature]	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
01.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिशल है। वकील प्रार्थी ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया, जिस पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आपत्ति प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 09.08.2021 अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई थी, तथा मौके पर चल रहे वैकल्पिक रास्ता का मौका रिपोर्ट में अंकन नही किया है, जबकि मौजा बरसूणा के खेत खसरा नं. 206 के बीच में से 207 के उतर पश्चिम कोने तक मौके पर रास्ता चल रहा है। उक्त वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थीगण की ढाणी तथा प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 207 तक चालू है, जो पूर्व मौका रिपोर्ट तारीख 24.12.2020 अनुवान कैलाशचन्द बनाम जेठाराम मुकदमा नं. 33/2020 व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रंगीन फोटो से साबित है। मौका कमिश्नर ने उपरोक्त अनुवान में बनाई ई मौका रिपोर्ट सही नही बनाई है तथा मौके की वास्तविक स्थिति को छिपाया है। उक्त मौका रिपोर्ट सही नहीं होने के कारण ही प्रार्थी सुखाराम ने मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। अप्रार्थी वैकल्पिक रास्ता कटाणी कराने के लिए सहमत है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कुल 9 में से केवल एक प्रार्थी भंवरलाल के ही अंगूठा निशान है बाकी किसी के नहीं है, न ही मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी के हस्ताक्षर नही करने या मना करने का अंकन है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट प्रार्थी भंवरलाल से मिलकर चुपके से बनाई है, जो सरासर गलत है। इसलिए प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के खर्चे पर मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करावे। वकील अप्रार्थी (प्रार्थी) ने आपत्ति प्रा.पत्र मिथ्या तथा गलत आधार पर पेश करना बताया तथा मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक के द्वारा मौका रिपोर्ट सही होना बताया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 251क के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है जिनका निस्तारण 3 माह की अवधि में निस्तारण किया जाना होता है। वकील अप्रार्थी ने उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र हस्तगत प्रकरण को लम्बा करने की नियत से पेश किया है। वकील प्रार्थी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र में बताया कि उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान को बिना सूचना दिये बनाई है, जबकि भू.अ.निरीक्षक ने समस्त पक्षकारान को मौका निरीक्षण से पूर्व नोटिस जारी किये गये है तथा नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। जिससे उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया, प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल 3294/17.08.2021 बिना सही नहीं होने तथा पक्षकारान् को सूचित किये बिना बनाये जाने पर पुनः मौका रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 के खर्चे पर मंगवाये जाने का निवेदन किया है, जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पटवारी हल्का/भू. अ. निरीक्षक ने पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये है जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट के संलग्न नोटिस प्रतियों से होती है। चूंकि प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है, तथा इस प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में किया जाना होता है। इसलिए प्रकरण में पुनः भू.अ. निरीक्षक रिपोर्ट नहीं मंगवाना न्यायसंगत नहीं है। अतः वकील अप्रार्थी आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते मूल प्रार्थना पत्र के जवाब/बकाया तलबी हेतु दिनांक 29.09.2021 को पेश हो। [signature] 29	

2/5/2022

प्रार्थीगण सं. 1 एवं 3 मय जरिये अधि. उपस्थित आकर पत्रावली को आज तारीख पर लिया जाकर प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से जरिये विड्रॉल खारिज किया जाने का निवेदन किया। उपस्थित प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 251 क आर.टी. एक्ट को चलाना नहीं चाहते है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 की ओर से nonpress किया।

अतः प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 251 क का जरिये विड्रॉल प्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से एवं प्रार्थी सं. 2 की ओर प्रार्थना पत्र जरिये nonpress खारिज किया जाता है। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) [illegible]

ह. खारान

Identified
ह.
[illegible]
[illegible]
ह.